



स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

नोएडा-दादरी रोड, फेज-2, नोएडा - 201305 (उत्तर प्रदेश)

दूरभाष (जोन कार्यालय): 0120 - 2567268-70 (3 लाइनें), फैक्स: 2562314, 2567276

ईमेल <dc@nsez.gov.in>: वेबसाइट: www.nsez.gov.in

फा० सं० 10/06/2022-SEZ/

8568
11/10/2024

दिनांक: 11/10/2024

(ई मेल के माध्यम से)

सेवा में,

1. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - 110002.
3. आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201306.
4. प्रधान आयुक्त, आयकर, प्लॉट सं- ए-2 डी, आयकर भवन, सेक्टर- 24, नोएडा।
5. उपसचिव (आई एफ - 1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नोएडा।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं 01, नॉलेज पार्क- 4, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, (उत्तर प्रदेश)।
8. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा।
9. उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण, कालिन्दी कुञ्ज, जी टी रोड, खुर्जा - 203131 (उत्तर प्रदेश)।
10. संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता / सह-विकासकर्ता।

विषय: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 07/10/2024 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 07/10/2024 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
2. वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
3. सम्बंधित विनिर्दिष्ट अधिकारी।

भवदीय,
(गया प्रसाद)
उप विकास आयुक्त

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

दिनांक 07.10.2024 को पूर्वाह्न 10:30 बजे श्री ए बिपिन मेनन विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अध्यक्षता में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुरजा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- i. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)।
- ii. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, नोएडा
- iii. श्री जगदीश चंदर, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), कार्यालय डीजीएफटी (DGFT), सीएलए, नई दिल्ली।
- iv. श्री के.सी. तनेजा, आयकर अधिकारी, नोएडा।

• इसके अलावा, (i). श्री रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी (ii) श्री ग्या प्रसाद, सहायक विकास आयुक्त; (iii) श्री प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त; (iv) और श्री सुनील गुलियानी, स्टेनोग्राफर/डीलिंग हैंड, भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

• प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/ विकासक /इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, जहां भी आवश्यक हो, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

मद संख्या 1. दिनांक 05.09.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

चूंकि 05.09.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए, 05.09.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 2. नई इकाई की स्थापना हेतु प्रस्ताव:

2.1: मेसर्स अन्वय आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।

2.1.1 मेसर्स अन्वय आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने प्लॉट नंबर 21, सेक्टर-टेकजोन IV, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में टॉवर-1 की 12वीं मंजिल पर 2120 वर्ग फीट (196.95 वर्ग मीटर) के निर्मित क्षेत्र में एक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य ग्राहकों को 'आईटी परामर्श सेवाएं और आईटी स्टाफिंग समाधान (सीपीसी- 313)' नामक सेवा गतिविधियाँ शुरू करना था। आवेदक ने पाँच वर्षों की अवधि में 5050.00 लाख रुपये का निर्यात और 5050.00 लाख रुपये का संचयी निवल विदेशी मुद्रा प्रस्तावित किया था। स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के लिए 50.00 लाख रुपये का अनुमानित निवेश प्रस्तावित किया गया

सुरेंद्र मलिक

था। आवेदक ने 20.00 लाख रुपये की स्वदेशी निविष्ट सेवाओं का भी प्रस्ताव दिया था। आवेदक ने प्रस्तावित स्थान के आवंटन के लिए मेसर्स अर्था बिजनेस पार्क एलएलपी, सह-विकासक द्वारा उन्हें जारी किए गए दिनांक 14.09.2024 के स्थान के अनंतिम प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत की थी।

2.1.2 समिति को बताया गया कि प्रस्ताव में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईं, जिनकी सूचना आवेदक को दे दी गई है:-

- i. निदेशकों में से एक का पूरा नाम उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड में सुश्री पूजा लव यादव है, जबकि फॉर्म-एफ में यह सुश्री पूजा यादव के रूप में उल्लेखित है। इसे ठीक करने की आवश्यकता है।
- ii. वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए अंकेक्षण बैलेंस शीट की पूरी प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- iii. स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं की सूची में उल्लिखित 'विविध वस्तुओं' का विवरण देना आवश्यक है।

02.09.2024 के बोर्ड संकल्प में, कंपनी ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के टॉवर-2 पर विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया था, जबकि स्थान का अनंतिम प्रस्ताव टॉवर-1 के लिए है। इसे स्पष्ट/सुधारने की आवश्यकता है।

2.1.3. मेसर्स अन्वय आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री लव कुमार यादव अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि वे अपनी घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) इकाई को प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई में स्थानांतरित करेंगे।

2.1.4. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स अन्वय आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नए इकाई की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी ऊपर अनुच्छेद 2.1.2 में बताए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है।

2.2: मेसर्स एक्सपेडाइट सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।

2.2.1 मेसर्स एक्सपेडाइट सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने प्लॉट नंबर 21, सेक्टर-टेकजोन IV, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में टॉवर-1 की 12वीं मंजिल पर 6000 वर्ग फीट (557.42 वर्ग मीटर) के निर्मित क्षेत्र में एक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य 'सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवाएँ और परामर्श सेवाएँ (सीपीसी- 8313)' नामक सेवा गतिविधियाँ शुरू करना था। आवेदक ने पाँच वर्षों की अवधि में 9500.00 लाख रुपये का निर्यात और 9500.00 लाख रुपये का संचयी निवल विदेशी मुद्रा प्रस्तावित किया था। स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के लिए 25.00 लाख रुपये का अनुमानित निवेश प्रस्तावित किया गया है। आवेदक ने 20.00 लाख रुपये की स्वदेशी निविष्ट सेवाएँ भी प्रस्तावित की थीं। आवेदक ने प्रस्तावित स्थान के आवंटन के लिए मेसर्स अर्था बिजनेस पार्क एलएलपी, सह-विकासक द्वारा उन्हें जारी किए गए दिनांक 14.09.2024 के स्थान के अनंतिम प्रस्ताव की एक प्रति प्रस्तुत की थी।

सुरेंद्र मलिक

2.2.2. समिति को सूचित किया गया कि प्रस्ताव में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं, जिन्हें आवेदक को सूचित कर दिया गया है:-

- i. इकाई की पृष्ठभूमि प्रस्तुत नहीं की गई।
- ii. श्री बिनॉय थॉमस और सुश्री निशि रैना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
- iii. श्री बिनॉय थॉमस और सुश्री निशि रैना के पासपोर्ट/आवासीय पते के प्रमाण और पैन कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गई।
- iv. फॉर्म-एफ में दिए गए श्री शीतांशु कृष्ण तिवारी के आवासीय पते का उनके पासपोर्ट से मिलान नहीं होता।
- v. आयात-निर्यात कोड (आईईसी) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई।
- vi. पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन के लिए आईएनसी-22 की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- vii. वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए अंकेक्षण बैलेंस शीट की पूरी प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- viii. 67 सेवाओं की डिफॉल्ट सूची के अनुसार विवरण देते हुए 20 लाख रुपये की स्वदेशी निविष्ट सेवाओं की सूची प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- ix. फॉर्म-एफ में, आवेदक ने 25 लाख रुपये की स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं का प्रस्ताव दिया है, जबकि परियोजना रिपोर्ट में स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं में निवेश 50 लाख रुपये बताया गया है। इसे स्पष्ट/सुधारने की आवश्यकता है।
- x. सुश्री अनीता मैथ्यू और श्री मदकल माथेन थॉमस नामक प्रथम निदेशकों की समाप्ति के लिए फॉर्म-32/डीआईआर-12 की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- xi. स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं की सूची में उल्लिखित 'विविध वस्तुओं' का विवरण देना आवश्यक है।
- xii. आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र और वचन पत्र नोटरीकृत नहीं हैं।
- xiii. निदेशक श्री शीतांशु कृष्ण तिवारी द्वारा अपने पक्ष में दिनांक 16.09.2024 के बोर्ड संकल्प पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, आवेदन के साथ अन्य दो निदेशकों के कोई दस्तावेज और विवरण प्रदान नहीं किए गए हैं। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।
- xiv. फॉर्म-एफ के क्रम संख्या V में सेवा गतिविधि का उल्लेख 'सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवाएं और परामर्श सेवाएं' के रूप में किया गया है, जबकि परियोजना रिपोर्ट में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि "वे अनुसंधान और विकास सेवाएं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहायता और सूचना सक्षम सेवाएं जैसे बैंक-ऑफिस संचालन, आंकड़ा अभिसंस्करण, रिमोट रखरखाव और रोजगार सेवाएं प्रदान करेंगे।" इसके अलावा, क्रम संख्या 8 में (प्रोफाइल और विजन) "वित्तीय अनुमान" के तहत आवेदक ने उल्लेख किया है कि वे सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं जैसे सॉफ्टवेयर और

सुरेंद्र मलिक

एप्लिकेशन विकास, परामर्श सेवाएं, वाणिज्यिक प्रशिक्षण और कोचिंग सेवाएं प्रदान करेंगे, जो सूचना प्रदान करने में असंगतता दर्शाता है। आवेदक द्वारा इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

2.2.3. मेसर्स एक्सपेडाइट सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री शीतांशु कृष्ण तिवारी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि वे अपनी घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) इकाई को प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई में स्थानांतरित करेंगे।

2.2.4. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स एक्सपेडाइट सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नई इकाई की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन उपरोक्त अनुच्छेद 2.2.2 में बताए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है।

मद संख्या 3. सामग्री की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव:

3.1: मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड, विकासक

3.1.1. मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड के सीएजी श्री राजेश रनवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

3.1.2. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्लॉट संख्या ए-01 से ए-06, सेक्टर-85, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में अधिकृत संचालन करने के लिए सामग्री की पहले से अनुमोदित सूची में वस्तुओं की मात्रा में संशोधन के लिए विकासक के अनुरोध को मंजूरी दे दी।

मद संख्या 4. इकाई के क्षेत्र के विस्तार/आंशिक विलोपन के लिए प्रस्ताव:

4.1: मेसर्स मर्सर कंसल्टिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड।

4.1.1. मेसर्स मर्सर कंसल्टिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री मनोज गुप्ता और सहायक निदेशक श्री सोनेंद्र जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

4.1.2. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स मर्सर कंसल्टिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें टावर-8 की पहली मंजिल पर '24793 साफ्ट' जोड़कर क्षेत्र का विस्तार करने और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संशोधित अनुमान शामिल हैं। यह सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित इसकी इकाई के संबंध में है:-

लाख रुपए में)

विवरण (5 साल के लिए)	मौजूदा स्वीकृत अनुमान	संशोधित अनुमान
निर्यात	88062.00	121569.18
विदेशी मुद्रा व्यय	10674.00	3476.00
निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय	77388.00	118093.18
आयातित पूंजीगत सामान	1623.00	2576.00
स्वदेशी पूंजीगत सामान	120.00	1209.00

सुरेंद्र मलिक

विवरण (5 साल के लिए)	मौजूदा स्वीकृत अनुमान	संशोधित अनुमान
आयातित निवेश सेवाएँ	0.00	900.00
स्वदेशी निवेश सेवाएँ	850.36	8603.55
रोज़गार सृजन	1280 संख्या	1662 संख्या

4.2: मेसर्स गेमिंग लैबोरेटरीज इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

4.2.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स गेमिंग लैबोरेटरीज इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें 'ग्राउंड फ्लोर, विंग-बी, भवन नंबर बी-1 में 7540 साफ्ट एरिया' को आंशिक रूप से हटाने का प्रस्ताव था। यह प्लॉट नंबर 8, सेक्टर-144, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में गोल्डन टॉवर इंफ्राटेक प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित इसकी इकाई के संबंध में है। इकाई को उक्त क्षेत्र के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी का 'अदेयता प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

मद संख्या 5. मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ), खुर्जा से दूसरे मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ)/विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में माल के हस्तांतरण की अनुमति देने का अनुरोध:-

5.1. मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

5.1.1 मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक श्री रोशन लाल और मेसर्स कैम्पारी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के श्री सुधीर कामथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। यह बताया गया कि मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के ग्राहक मेसर्स कैम्पारी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने खुर्जा में मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) इकाई से स्काई वोदका (एचएस कोड-2208) के 244 केस शराब युक्त पेय पदार्थों के हस्तांतरण और शुल्क फ्री दुकानों, बंदरगाह शुल्क फ्री दुकानों पर निर्यात के लिए भंडारण (जोन से जोन ट्रांसफर) के लिए बिल ऑफ एंट्री नंबर 3005529 दाखिल किया था। बताया गया कि उपरोक्त प्रवेश बिल को श्रीसिटी चेन्नई के नामित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिकारियों द्वारा 23.09.2024 को अनुमोदित कर दिया गया है।

5.1.2 इस बीच, वाणिज्य विभाग (DOC) ने पत्र संख्या K-43022/24/2024-SEZ दिनांक 24.09.2024 के माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) और भंडारण इकाइयों के संचालन ढांचे के लिए दिशानिर्देशों के संबंध में निर्देश संख्या 117 जारी किया था। उक्त निर्देश के बिंदु VI के अनुसार, "अनुमोदन समिति द्वारा विचार किए जाने के बाद विशिष्ट और असाधारण मामलों को छोड़कर एक मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) से दूसरे मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) में माल के हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए"। मेसर्स कैम्पारी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि ने अपनी व्यावसायिक योजना के बारे में बताया और बताया कि शुल्क फ्री दुकानों, बंदरगाह शुल्क फ्री दुकानों पर अपने मादक पेय पदार्थों को बेचने के लिए उनका मेसर्स एमआईएमसीओ डीएफएस इंडिया के साथ एक समझौता है। उन्होंने उपरोक्त वस्तुओं के हस्तांतरण की अनुमति देने का अनुरोध किया क्योंकि उन्होंने इसके लिए पहले ही बिल ऑफ एंट्री दाखिल कर दी है। अनुमोदन समिति द्वारा पूछे जाने पर मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि ने बताया कि एसएपी सिस्टम पहले

सुरेंद्र मलिक

से ही मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) विकासक के पास है और इसे मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) इकाइयों के साथ साझा किया जाएगा।

5.1.3. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और ऊपर अनुच्छेद में उल्लिखित मौजूदा समझौते और इस तथ्य को ध्यान में रखा कि ग्राहक एक प्रतिष्ठित वैश्विक ब्रांड है। उचित विचार-विमर्श के बाद बिल ऑफ एंट्री नंबर 3005529 के तहत वस्तुओं के हस्तांतरण के लिए उपरोक्त खेप के संबंध में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। यह मेसर्स कैंपारी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एमआईएमसीओ डीएफएस इंडिया के बीच समझौते की प्रति और मेसर्स एमआईएमसीओ डीएफएस इंडिया के लाइसेंस की प्रति प्रस्तुत करने के अधीन है। समिति ने मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) इकाई का दौरा करने और यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) इकाई में आवश्यक छेड़छाड़ विरोधी ईआरपी/एसएपी प्रणाली स्थापित है। आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने तथा मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) इकाई की संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

मद संख्या 6. स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त मदों को शामिल करने का प्रस्ताव:-

6.1. मेसर्स वर्धमान कस्टम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स।

6.1.1. मेसर्स वर्धमान कस्टम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स के प्रबंधक श्री ए के सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनकी मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) इकाई में कोई ईआरपी/एसएपी प्रणाली स्थापित नहीं है। इसके अलावा, मेसर्स अर्शिया नॉर्दर्न मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) लिमिटेड, मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) विकासक के प्रतिनिधि ने बताया कि एसएपी प्रणाली पहले से ही मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) विकासक के पास है और इसे मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) इकाइयों के साथ साझा किया जाएगा।

6.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स वर्धमान कस्टम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स के दिनांक 28.12.2018 के स्वीकृति पत्र (LOA) में निम्नलिखित मदों/एचएस कोड को शामिल करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। समिति ने मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) इकाई का दौरा करने का भी निर्देश दिया ताकि यह जांच की जा सके कि मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) इकाई में आवश्यक छेड़छाड़ विरोधी ईआरपी/एसएपी प्रणाली स्थापित है या नहीं। मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) इकाई की संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्ट के बाद ही औपचारिक अनुमोदन जारी किया जाएगा:-

क्रम सं.	इकाई द्वारा प्रस्तावित आईटीसी (एचएस) कोड	वस्तु विवरण
----------	--	-------------

सुरेंद्र मलिक

i.	3919	स्वयं चिपकने वाली प्लेटें, शीटें, फिल्म, पन्नी, टेप, पट्टी और प्लास्टिक की अन्य सपाट आकृतियाँ, चाहे वे रोल में हों या नहीं।
ii.	1016	कठोर रबर के अलावा वल्कनीकृत रबर की अन्य वस्तुएं।
iii.	7616	एल्युमीनियम की अन्य वस्तुएं.
iv.	7318	लोहे या इस्पात के स्कू, बोल्ट, नट, कोच स्कू, स्कू हुक, रिबेट्स, कॉटर, कॉटर-पिन, वॉशर (स्प्रिंग वॉशर सहित) और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं।
v.	8505	विद्युत-चुंबक; स्थायी चुंबक और चुंबकीकरण के बाद स्थायी चुंबक बनने के लिए अभिप्रेत वस्तुएं; विद्युत-चुंबकीय या स्थायी चुंबक चक, क्लैंप और इसी तरह के होल्डिंग उपकरण; विद्युत-चुंबकीय कपलिंग, क्लच और ब्रेक; विद्युत-चुंबकीय लिफ्टिंग हेड
vi.	8532	विद्युत संधारित्र, स्थिर, परिवर्तनीय या समायोज्य (पूर्व-सेट)
vii.	8533	विद्युत प्रतिरोधक (रिओस्टेट और पोटेंशियोमीटर सहित), तापन प्रतिरोधकों के अलावा।
viii.	8534	मुद्रित सर्किट
ix.	8536	विद्युत परिपथों को स्विच करने या उनकी सुरक्षा करने, या विद्युत परिपथों में या उनसे कनेक्शन करने के लिए विद्युत उपकरण (उदाहरण के लिए, स्विच, रिले, फ्यूज, सर्ज सप्रेसर्स, प्लग, सॉकेट, लैंप-होल्डर और अन्य कनेक्टर, जंक्शन बॉक्स), 1,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के लिए; ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बंडल या केबल के लिए कनेक्टर।
x.	8541	अर्धचालक उपकरण (उदाहरण के लिए, डायोड, ट्रांजिस्टर, अर्धचालक-आधारित ट्रांसड्यूसर); प्रकाश-संवेदनशील अर्धचालक, उपकरण, जिसमें फोटोवोल्टिक सेल शामिल हैं, चाहे वे मॉड्यूल में इकट्ठे हों या नहीं या पैनल में बने हों; प्रकाश-उत्सर्जक डायोड (एलईडी), चाहे वे अन्य प्रकाश-उत्सर्जक डायोड (एलईडी) के साथ इकट्ठे हों या नहीं; माउंटेड पीजो-इलेक्ट्रिक क्रिस्टल
xi.	8542	इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत सर्किट

6.1.3. यह स्वीकृति निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन है:-

- ऐसे उत्पाद जो विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत आयात और निर्यात के लिए "निषिद्ध/प्रतिबंधित" हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
- इकाई के अधिकृत संचालन का दायरा एसईजेड नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार सख्ती से होगा।
- एसईजेड नियम, 2006 के नियम 18(5) के प्रावधान के अनुसार सभी लेन-देन केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होंगे।

सुरेंद्र मलिक

- iv. समय-समय पर जारी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना/निर्देशों के अनुसार बंदरगाह प्रतिबंध लागू होंगे।
- v. इकाई को आयात/निर्यात के लिए संबंधित केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों/विभागों और डीजीएफटी की आयात नीति सहित संबंधित प्राधिकरणों से आवश्यक 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) प्राप्त करनी होगी।

मद संख्या 7. शिफ्ट आधार पर एसईजेड इकाई के संचालन का प्रस्ताव:-

7.1. मेसर्स ज़ेवियंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

7.1.1. मेसर्स ज़ेवियंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री आशीष जैन और अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रतीक कुकरेजा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। प्रतिनिधियों ने बताया कि उनका प्रस्ताव वाणिज्य विभाग (DOC) के निर्देश संख्या 13 दिनांक 03.06.2009 के प्रावधानों के अंतर्गत अच्छी तरह से शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि दोनों इकाइयों को विशिष्ट और अलग-अलग स्थान और सीटें आवंटित की जा रही हैं, जो संयोग से संबंधित कंपनियां हैं। आगे बताया गया कि इकाइयां शिफ्ट आधार पर संचालित होंगी।

7.1.2. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स ज़ेवियंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें मेसर्स लाइफवर्क्स वेलबीइंग सॉल्यूशंस (इंडिया) एलएलपी के भवन नंबर 7 की 11वीं मंजिल पर 14131 वर्ग फीट यानी अनुमोदित परिसर के एक हिस्से से शिफ्ट के आधार पर परिचालन करने का प्रस्ताव है, जो 15.03.2025 तक की अवधि के लिए है। यह प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित इसकी इकाई के संबंध में है और यह निर्देश संख्या 13 दिनांक 03.06.2009 के सख्त अनुपालन के अधीन है।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

ए बिपिन मेनन

(ए बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त